15/6/17

आज प्रकरण की प्रथम सुनवाई में उपस्थित प्रार्थी एवं उप.। प्रार्थी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत किया किया कि प्रा.पत्र में दर्ज क्र.नं. 255, 256, 260, 366, 367, 368 वाले खाते हस्तपुस्तिका से प्रार्थी का कोई लेना-देना नहीं है। त्रुटिवश गलती से इन खातों को जोड़ दिया तथा उक्त खातों को इन्द्राज करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। आ.क्र.नं. 255, 256, 260, 267, 268 वाले खाते हस्तपुस्तिका को इन्द्राज आदेश दिनांक 18-7-16 से मुक्त किया जाता है। शेष आपत्तियों पर विपक्षियों का निवेदन किया। पक्षा. का सत्यापन किया प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। शेष प्रकरण पर इन्द्राज दिनांक 18-7-16 को वादोत्तर प्राप्त करने हेतु किया जाता है। पत्रावली नस्ती होकर अद्यतन की जाने तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाने हेतु प्रस्तुत।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

Scanned by CamScanner